

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज- दिनांक- सितम्बर 10, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 116 वाहनों का चालान किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण अभियुक्ता सतमा पत्नी जागिर नि0 भारी वैसी थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्तगण 1. झन्नन पुत्र राममूरत

नि०शेषपुर 2. अभय पुत्र मुखू सिंह पुत्र सुनील नि० सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद
महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल /2021 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम के
अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के
क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए
कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया

***जनपद में दिनांक 09/10-09-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-19 अभियुक्तगणों
को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।***